शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान
समग्र शिक्षा अभियान
सब पढ़े, सब बढ़ें

झारखण्ड शिक्षा परियोजना,गिरिडीह

विज्ञान भवन, झण्डा मैदान, गिरिडीह– 815301.
फोन–06532–250719,फैक्स न.–06532–250718
Email Address:-jepgiridih123@yahoo.co.in

विज्ञापन संख्या 01/2023 / दिनांक 23.02.2023

आवश्यक सूचना

आदर्श विद्यालय योजना अंतर्गत जिले के उत्कृष्ट विद्यालयों में (Schools of Excellence) एवं प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालयों में संविदा आधारित शिक्षकों के चयन हेतु आवश्यक सूचना :–

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार रांची के संकल्प संख्या 697 दिनांक 15.03.2022 के आलोक में जिले के उत्कृष्ट विद्यालयों (Schools of Excellence) एवं प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालयों में जिन्हें राज्य के महत्त्वाकांक्षी आदर्श विद्यालय योजना के अन्तर्गत गुणवत्त शिक्षा के रूप में विकसित किया जा रहा है। अल्पकालीन संविदा आधारित स्नातकोत्तर प्रशिक्षित एवं स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों के चयन हेतु योग्य अभ्यर्थियों से निम्न अंकित शर्त्तों के अधीन Online आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं :–

S.N.	Subject	TGT Category wise Vacancy: Total No. of Vacant Posts	UR	BC	MBC	SC	ST	दिव्यांग
1	हिन्दी	15	8	2	2	2	1	
2	अंग्रेजी	11	6	1	2	1	1	
3	संस्कृत	29	15	3	4	4	3	VI-1
4	गणित / भौतिकी	29	15	3	4	4	3	VI-1
5	जीव विज्ञान / रसायन	15	8	2	2	2	1	
6	इतिहास / नागरिकं	13	7	2	2	1	1	
7	भूगोल	14	7	2	2	2	1	
8	अर्थशास्त्र	13	7	2	2	1	1	
9	गृह विज्ञान	8	4	1	1	1	1	
10	शारीरिक शिक्षा	17	9	2	2	2	2	
11	उर्दू	2	1	0	1	0	0	
12	फारसी	1	1	0	0	0	0	
13	बांग्ला	1	1	0	0	0	0	
14	संथाली	3	2	0	1	0	0	
15	खोरठा	3	2	0	1	0	0	
16	संगीत	5	3	1	1	0	0	
	Total	**179**	**96**	**21**	**27**	**20**	**15**	

S.N.	Subject	PGT Category wise Vacancy: Total No. of Vacant Posts	UR	BC	MBC	SC	ST
1	हिन्दी	18	9	2	3	2	2
2	अंग्रेजी	21	11	2	3	3	2
3	संस्कृत	19	10	2	3	2	2
4	इतिहास	17	9	2	2	2	2
5	भूगोल	17	9	2	2	2	2
6	अर्थशास्त्र	21	11	2	3	3	2
7	गणित	21	11	2	3	3	2
8	भौतिकी	22	11	2	3	3	3
9	जीव विज्ञान	18	9	2	3	2	2
10	रसायन	19	10	2	3	2	2
11	वाणिज्य	18	9	2	3	2	2
	कुल योग	211	**109**	**22**	**31**	**26**	**23**

नोट – चयन हेतु विद्यालयों की सूची परिषिष्ट "क" के रूप में संलग्न

1. **अहर्ता :–**

   i. स्नातकोत्तर प्रशिक्षित (PGT) शिक्षकों हेतु :–

   - राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित विषय जिसमें चयन होना है, में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर की डिग्री। परंतु अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री।

झारखण्ड शिक्षा परियोजना,गिरिडीह
विज्ञान भवन, झण्डा मैदान, गिरिडीह– 815301.
फोन–06532–250719,फैक्स न.–06532–250718
Email Address:-jepgiridih123@yahoo.co.in

- साथ ही मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से बी.एड. अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा बी. एड. के समकक्ष घोषित डिग्री।

ii. स्नातक प्रशिक्षित (TGT)शिक्षकों हेतु :–

- राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित विषय जिसमें चयन होना है, में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक की डिग्री। परंतु अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 40 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक डिग्री।
- साथ ही मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से बी.एड. अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा बी. एड. के समकक्ष घोषित डिग्री।

2. **उम्र :–**

- न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा क्रमशः 21 और 55 वर्ष होगी।
- उम्र का आकलन 31.12.2022 के आधार पर किया जाएगा।

3. **आरक्षण :–**

- चयन में झारखंड राज्य द्वारा जिला स्तरीय नियुक्ति हेतु आरक्षण रोस्टर का पालन किया जाएगा।
- आरक्षित पदों पर झारखंड में निवास करने वाले अभ्यर्थियों जिन्हें झारखंड सरकार के अधीन सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आरक्षण प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षण का दावा मान्य किया जाएगा।
- दिव्यांग अभयर्थियों के लिए नियमानुसार क्षैतिज आरक्षण देय होगा।

4. **संविदा शिक्षक की मासिक परिलब्धि :–**

क्र.सं.	शिक्षक की कोटि	नियत मानदेय प्रतिमाह
1	स्नातकोत्तर प्रशिक्षित (PGT) शिक्षक (सभी विषय)	रूपये 27500/–
2	स्नातक प्रशिक्षित (TGT) शिक्षक (सभी विषय)	रूपये 26250/–

5. **संविदा शिक्षकों के निर्धारित कर्त्तव्य एवं दायित्व :–**

संविदा के आधार पर नियुक्त शिक्षक निम्नलिखित कर्त्तव्यों का निर्वहन करेंगे:–

i. नियमित कक्षा का संचालन/बच्चों के द्वारा किए गए कार्यो की जांच।
ii. निरीक्षण कार्य/मूल्यांकन कार्य।
iii. विद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रम/सह पाठ्यक्रम गतिविधियों की तैयारी एवं संचालन में छात्रों एवं सह–कर्मियों का सहायता करना।
iv. प्राचार्य द्वारा सौंपे गये सभी कार्य।

6. चयन की प्रक्रिया :– उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा साक्षात्कार एवं व्यावहारिक कक्षा अवलोकन के आधार पर चयन समिति द्वारा निर्धारित दिशा–निदेशों के अनुरूप मेधा सूची के अनुसार किया जाएगा। चयन हेतु समिति का निर्णय अंतिम निर्णय होगा। चयन की प्रक्रिया बिना कारण बताये चयन समिति द्वारा किसी भी समय स्थगित अथवा निरस्त किया जा सकता है।

7. **चयन हेतु निर्धारित शर्त्ते :–**संविदा के आधार पर चयनित शिक्षक स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार के संकल्प संख्या 697 दिनांक 15.03.2022 के अंतर्गत निम्नांकित शर्त्तों के अधीन कार्य करेंगे :–

i. यह चयन शैक्षणिक सत्र समाप्ति या नियमित शिक्षक के योगदान करने तक जो भी पहले हो अल्पकालीन संविदा के आधार पर की जाएगी।
ii. शैक्षणिक सत्र समाप्ति के पश्चात चयन समिति द्वारा अल्पकालीन संविदा के आधार पर चयनित एवं कार्य कर रहे शिक्षक के चयन समिति द्वारा यह कार्रवाई प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ होने के पूर्व कर ली जाएगी।
iii. संविदा के आधार पर कार्यरत शिक्षकों को नियमित चयन का कोई दावा/अधिकार नहीं होगा और न ही वे सरकारी शिक्षक संवर्ग का हिस्सा होंगे।

शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान
समग्र शिक्षा अभियान
सब पढ़ें, सब बढ़ें

झारखण्ड शिक्षा परियोजना,गिरिडीह

विज्ञान भवन, झण्डा मैदान, गिरिडीह– 815301.
फोन–06532–250719,फैक्स न.–06532–250718
Email Address:-jepgiridih123@yahoo.co.in

iv. ऐसे शिक्षक विद्यालय के प्राचार्य के अधीन एवं उनके द्वारा निर्धारित शर्त एवं बंधेज (संविदा के समय निर्धारित) के अनुरूप कार्य करेंगे।

v. संविदा आधारित चयन को एक शैक्षणिक वर्ष में 11 माह हेतु कार्य करने संबंधी एकरारनामा के आधार पर किया जाएगा। यह एकरारनामा चयनित उम्मीदवार एवं संबंधित विद्यालय के प्राचार्य के बीच निर्धारित शर्तों के अनुरूप किया जाएगा।

चयन समिति द्वारा प्रत्येक वर्ष एकरारनामा एवं संविदा का विस्तार अगले शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ होने से पूर्व अल्पकालीन संविदा पर कार्य कर रहे शिक्षक के कार्यकलाप का मूल्यांकन किया जाएगा तथा कार्य संतोषपद्र पाए जाने की स्थिति में अगले शैक्षणिक सत्र हेतु संविदा विस्तार किया जाएगा। कार्य मूल्यांकन किए जाने पर कार्यकलाप असंतोषप्रद पाए जाने की स्थिति में आगामी शैक्षणिक सत्र हेतु अवधि विस्तार नहीं किया जाएगा तथा संबंधित शिक्षक की कार्य अनुमति विखण्डित मानी जाएगी। तदोनुसार संबंधित रिक्त पद पर चयन समिति द्वारा पुनः विज्ञापन निकाल कर विहित प्रक्रिया करते हुए चयन की कार्रवाई की जाएगी।

8. **आवेदन करने की प्रक्रिया :–**

i. आवेदन ऑनलाइन भारा जाएगा। ऑनलाइन आवेदन NIC.Giridih के website पर जाकर भरा जा सकता है। अंतिम तिथि के बाद आवेदन पत्रों पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जायेगा।

ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ की तिथि	दिनांक – 27.02.2023
ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि	दिनांक – 15.03.2023
निबंधित डाक द्वारा ऑनलाईन आवेदन की हार्ड कॉपी के साथ सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र एवं अनुभव प्रमाण पत्र की स्व–अभिप्रमाणित प्रति एवं Demand Draft/Bankers Cheque प्राप्त करने की अंतिम तिथि	दिनांक – 20.03.2023

ii. चयन हेतु विस्तृतं विज्ञापन, एवं आवेदन प्रपत्र का प्रारूप जिले के अधिकारिक वेबसाईट https://Giridih.nic.in पर एवं झारखंड शिक्षा परियोजना, गिरिडीह कार्यालय के सूचना पट् पर देखा जा सकता है।

iii. चयन के संबंध में अद्यतन जानकारी जिला शिक्षा पदाधिकारी–सह–जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, झारखंड शिक्षा परियोजना, गिरिडीह अथवा जिले के उपरोक्त अंकित अधिकारिक वेबसाईट पर देखी जा सकती है। अभ्यर्थी का दायित्व होगा कि वे नियमित रूप से अवलोकन करते हुए चयन संबंधी जानकारी प्राप्त करें।

iv. आवश्यकतानुसार रिक्ति की संख्या घट या बढ़ सकती है।

9. **चयन परीक्षा हेतु शुल्क 100/– रूपये होगी, परंतु अनुसूचित जाति/जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए यह 50/–रूपये निर्धारित की जाती है। आवेदन शुल्क** Crossed Demand Draft/Bankers Cheque **जिला शिक्षा पदाधिकारी–सह–जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, गिरिडीह के पदनाम से** Payable at **गिरिडीह में स्वीकार किए जायेंगे। आवेदक को ऑनलाइन भरे हुए आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेकर** Demand Draft/Bankers Cheque, **शैक्षणिक प्रमाण पत्र, प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र एवं अनुभव प्रमाण पत्र की स्व–अभिप्रमाणित प्रति के साथ आवेदन पत्र झारखण्ड शिक्षा परियोजना, गिरिडीह के कार्यालय में निबंधित डाक के माध्यम से भेजना अनिवार्य होगा। निर्धारित तिथि 20.03.2023 के अपराह्न 05:00 बजे तक निबंधित डाक से आवेदन नहीं प्राप्त होने पर अभ्यर्थी का दावा मान्य नहीं होगा।**

पात्रता :– चयन परीक्षा में बैठने की अनुमति पूर्णतः औपबंधिक होगी। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र निर्गत होना यह प्रमाणित नहीं करता है कि अभ्यर्थी विज्ञापित पद पर चयन हेतु निर्धारित पात्रता पूरी करते हैं। चयन समिति द्वारा विज्ञापित पद पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के पात्रता संबंधी प्रमाण पत्रों की जांच करायी जाएगी। निर्धारित जांच के कार्यक्रम में अनुपस्थित रहने अथवा आवेदन में भरे गए पात्रता संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने अथवा निर्धारित अवधि अंतर्गत नहीं होने पर आरक्षण/अन्य लाभ अनुमान्य नहीं होगा।

23/02/2023
जिला शिक्षा पदाधिकारी–सह–
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
गिरिडीह।

23/02/23
उपायुक्त–सह–अध्यक्ष
जिला चयन समिति, गिरिडीह।